झारखंड सरकार

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

संख्या 2/युवाकार्य–2कला–1/11.88/क०, भारत के संविधान की अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के अधीन झारखण्ड के युवाओं हेतु राज्य आयोग गठित करने और उससे आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

झारखंड राज्य युवा आयोग नियमावली : 2012

अध्याय – I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भः–**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली 2012"** कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **परिभाषाएँः**

इस नियमावली में जब तक कोई बात संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(i) **" नियमावली "** से अभिप्रेत है "झारखण्ड राज्य युवा आयोग नियमावली, 2012"।

(ii) **"युवाओं"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के निवासी।

(iii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, नियमावली के अन्तर्गत गठित युवाओं के लिए राज्य युवा आयोग।

(iv) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, अध्यक्ष सहित आयोग का कोई सदस्य।

(v) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली द्वारा विहित।

अध्याय – II

युवाओं के लिए राज्य युवा आयोग

3. **युवाओं के लिए राज्य युवा आयोग का गठनः–**

(i) राज्य सरकार नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु राज्य युवा आयोग का गठन 3 वर्षो के लिये करेगी।

(ii) आयोग में निम्नलिखित सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगेः–

a) अध्यक्ष

b) दो सदस्य

c) सदस्य सचिव – सरकार के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।

4. **अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्त्तें:–**

(i) प्रत्येक सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(ii) अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्य सचिव के लिये लागू नहीं होगा।

(iii) इन पदों पर ऐसे युवाओं को ही नियुक्त किया जा सकेगा, जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो तथा युवाओं के कल्याण तथा विकास के क्षेत्र में गत पाँच वर्षो से लगातार कार्यरत हो।

(iv) कोई भी सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, के कार्यभार से किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है।

(v) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के कार्यभार से हटा सकती है, यदि वह व्यक्तिः–

(क) अनुन्पोषित दिवालिया हो गया हो।

(ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टता से संबंधित है, में दोष सिद्ध हुआ हो तथा कारावास की सजा भुगत रहा हो।

(ग) जो विक्षिप्त हो गया हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया गया हो।

(घ) जो कार्य करने से इनकार करता हो अथवा कार्य करने में अक्षम हो।

(ड.) जो अध्यक्ष से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, या

(च) जो राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य पद की प्रतिष्ठा को कलंकित किया हो, या जिसके कार्यालय में रहने से जनहित की हानि होती हो।

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपने पद से हटाया नहीं जायगा, जब तक उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो गया हो।

(vi) राज्य सरकार अध्यक्ष/सदस्यों को यथा इच्छा एक माह की सूचना देकर अथवा एक माह का वेतन देकर पद से हटा सकेगी।

(vii) उक्त रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी।

(viii) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त्तें वही होंगी जैसा कि नियमावली के नियम 12 (ii) (a) के अधीन निर्मित विनियमावली में विहित किया जायगा।

5. **आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी :–**

(i) राज्य सरकार आयोग के कार्यकलापों के प्रभावशाली निष्पादन के लिये वैसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों, जो आवश्यक हों, की सेवायें आयोग को उपलब्ध करायेगी।

(ii) आयोग के लिये नियुक्त पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें वे ही होंगी, जो विहित की जायेंगी।

30/11/11

6. **आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रियाः**

(i) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय तथा स्थान पर होगी, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझें।

(ii) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

(iii) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य सचिव द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

अध्याय – III

7. **आयोग के कृत्यः–**

(i) युवाओं की समस्याओं को चिन्हित करना तथा उनके समाधान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करना।

(ii) युवाओं में समाज सेवक एवं अच्छे नागरिक बनने हेतु उचित गुणों को प्रोत्साहित करना।

(iii) युवाओं में नेतृत्व गुण विकसित करने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(iv) युवाओं को आत्म निर्भर बनाने, उद्दमशीलता का विकास करने तथा नियोजन योग्य बनाने हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन करवाना।

(v) युवाओं के प्रशिक्षण हेतु राज्य में अवस्थित प्रशिक्षण केन्द्रों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

(vi) असैनिक सेवाएँ, सेना में भर्त्ती तथा विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए राज्य के युवाओं को तैयार करना।

(vii) युवाओं में केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।

(viii) युवाओं में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, विशेषतः HIV/ AIDS तथा मादक द्रव्यों के संबंध में जागरूकता, बढ़ाना।

(ix) युवाओं के विकास हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं सुदृढ़ीकरण।

अध्याय – IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

8. **राज्य सरकार द्वारा अनुदानः**

(i) राज्य सरकार अनुदान के रूप में आयोग को उतनी राषि देगी जितनी वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए उचित समझे।

(ii) आयोग इस नियमावली के अधीन सौंपे गये कार्यो के निष्पादन के लिए ऐसी राशि खर्च कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे और ऐसी राशि की धारा–8 (i) में निर्दिष्ट अनुदानों से भुगतेय व्यय के रूप में समझा जायगा।

9. **लेखा तथा अंकेक्षणः**

(i) आयोग समुचित लेखा तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का संग्रह करेगा तथा महालेखाकार, झारखण्ड से विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा वैसे प्रपत्र जो विहित किये जाये में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(ii) आयोग के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार झारखण्ड द्वारा ऐसे अंतराल, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, पर किया जायगा तथा ऐसे अंकेक्षण में हुआ कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार झारखण्ड को भुगतेय होगा।

(iii) आयोग के लेखा के अंकेक्षण के संदर्भ में महालेखकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार रहेंगे जो महालेखाकार, झारखण्ड को सामान्यतः सरकारी लेखा के अंकेक्षण के क्रम में प्राप्त हैं। विशेषकर बहियों का लेखा, सम्बद्ध विपत्र तथा अन्य अभिलेखों को उपलब्ध कराने की मांग करने तथा आयोग के कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त रहेगा।

10. **वार्षिक प्रतिवेदनः**

आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाय, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों की पूरी विवरणी रहेगी। इसकी एक प्रति राज्य सरकार को अनिवार्यतः अग्रसारित की जायगी।

अध्याय – V

प्रकीर्ण

11. **आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी का लोकसेवक होनाः**

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी लोकसेवक समझे जायेंगे।

12. **नियमावली बनाने की शक्तिः**

(i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाषन द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए विनियम बना सकेगी।

(ii) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल असर डाले बिना ऐसी विनियमावली बनाकर निम्नलिखित सभी या किसी मामले के संबंध में उपबंध कर सकेगी, यथाः

a) अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्त्तो तथा बंधेज।

b) प्रपत्र, जिसके अधीन वार्षिक लेखा विवरणी भी है।

c) वह प्रपत्र तथा वह समय जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायगा।

d) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके होने की अपेक्षा हो या जो विहित किया गया हो।

13. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्तिः**

यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

14. **नियंत्रणः**

झारखण्ड राज्य युवा आयोग पर कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

30/11/12

(अजय कुमार सिंह)
सचिव,
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 1126 राँची, दिनांक 30/11/12

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त राजपत्र की 100 प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

30/11/12
उप सचिव

ज्ञापांकः 1126 राँची, दिनांक 30/11/12

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/12
उप सचिव

ज्ञापांकः 1126 राँची, दिनांक 30/11/12

प्रतिलिपिः सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण/उप निदेशक, पाईका/सभी जिला खेल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/12
उप सचिव
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।